18/08/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थीया उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थीया का सही नाम निर्मला पुत्री कैलाश है। परन्तु विरासतन दर्ज करने एवं राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम निरमा पुत्री कैलाश दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड जिनमें सही नाम है की प्रतियां पेश किये। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीया ने गवाह सुभाष व राजू के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम निरमा पुत्री कैलाश अंकित है। प्रार्थीया का कथन कि प्रार्थीया का सही नाम निर्मला पुत्री कैलाश है की पुष्टि आधार कार्ड जिनमें सही नाम है से होती है। तथा इस तथ्य की पुष्टि गवाहान के शपथ पत्र से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम हेमराजपुरा स्थित भूमि खाता सं0 12, 13, 14, 27 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में **निरमा पुत्री कैलाश** के स्थान पर **निर्मला पुत्री कैलाश** दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)